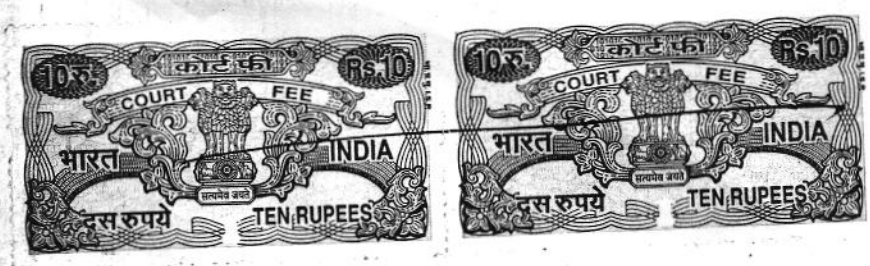

Entry 12

(48)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल

निगरानी कमांक /17

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/3359

धर्मेन्द्रसिंह पाल
आत्मज श्री चुन्नीलाल पाल
आयु 23 वर्ष
निवासी करोंद चौराहा के पास
भोपाल तहसील व जिला भोपाल .... निगरानीकर्ता

श्री राजेश ... अभिभाषक द्वारा 31-8-17 को कैम्प में प्रस्तुत किया

विरूद्ध

1-पप्पूसिंह यादव आत्मज
श्री पर्वत सिंह यादव
आयु 36 वर्ष
निवासी एवं कृषक ग्राम
संग्रामपुर तहसील व जिला
रायसेन

2-चुन्नीलाल पाल आत्मज
श्री धन्नालाल पाल
आयु 65 वर्ष
निवासी ग्राम नीनोद
तहसील व जिला रायसेन .... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के राजस्व निरीक्षक वृत दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन के राजस्व प्रकरण कमांक-15/अ-12/13-14 पक्षकार पप्पूसिंह विरूद्ध चुन्नीलाल ने पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15/7/2014 से दुखी होकर निम्न ठोस तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

तथ्य

1- यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा कमांक-6 रकबा 10 एकड़ स्थित ग्राम संग्रामपुर पटवारी हल्का न0-1 तहसील व जिला रायसेन में है जो निगरानीकर्ता के नाम राजस्व प्रकरण कमांक-39/अ-26/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2011 के द्वारा नामांतरित होकर भूमि स्वामी के रूप में नाम दर्ज हुआ जो राजस्व खसरा पंचशाला वर्ष 2011-12 की भूमि स्वामी के कॉलम में नाम दर्ज है जब से निगरानीकर्ता उक्त भूमि का एक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू-रा./2017/3359 जिला - रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है। संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी। "चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, रायसेन को भेजा जाता है। कलेक्टर, रायसेन प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	